

FORM NO. III

फर्दअहकाम




(नियम- 26)

अज अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), .....सिवाना .....

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| प्रार्थी/प्रार्थीगण<br>हीरालाल पुत्र लिखमाराम जाति राजपूत<br>ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा | बनाम<br>निवासी | विप्रार्थी/विप्रार्थीगण<br>1 कानसिंह पुत्र लिखमाराम जाति पुरोहित निवासी ईटवाया<br>तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (4)<br>5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना |
|---|----------------|--|

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RT Act.

मुकदमा नंबर:-121/2024

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो<br>इस हुकम की तामील में<br>जारी हुए                            |
|---------------|---|---|
| 04.07.2024    | प्रार्थी हीरालाल की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी ने यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थी कानसिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो।<br><br><br>(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)<br>सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना |   |
| 09.07.24      | प्रार्थी व प्रार्थी वकील के निवेदन पर<br>पत्रावली आज तलब की गई।<br>प्रार्थी व उनके वकील उपस्थित।<br>चुक्ति: मूल वाद वादी व वादी<br>वकील के निवेदन पर विद्रो अपारिज<br>हो चुका है। अतः आवेदन की कार्यवाही<br>जारी रखे जाने का कोई औचित्य<br>नहीं है।<br>लिहाजा आवेदन इसी स्तर पर<br>अपारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फिलहाल शुभ्रा एन्डर मूल<br>वाद के संलग्न है।                                |   |
|               | <br>सहायक कलक्टर।<br>(S.D.O) सिवाना   |  |